PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Sun, 01 Oct 2017, Page 10
Width: 35.41 cms, Height: 29.85 cms, a3r, Ref: 14.2017-10-01.103

रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 700 पीएफ ट्रस्टों के खिलाफ होगी कार्रवाई

नई दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उन 700 भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने आनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों (पीएफ ट्रस्ट) ने आनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसके अनुसार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपने देशभर में फैले सभी कार्यालयों से कहा है कि वे इस तरह के सभी संस्थानों की ओर से आनलाइन रिटर्न फाइल किया जाना सुनिश्चित करें और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों (पीएफ ट्रस्ट) ने आनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया।

ईपीएफओ ने इन ट्रस्टों से कहा है कि वे अपने 84 लाख सदस्यों को एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ई-पासबुक के जरिए पीएफ अंशदान की जानकारी प्राप्ति के दो दिन के भीतर दें। ईपीएफओ ने 2014 में निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिए आनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था। ये निजी ट्रस्ट कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का खुद प्रबंधन करते हैं। लेकिन उन्हें इस मामले में उन सभी शर्त व लाभ को उपलब्ध कराना होता है जो कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Punjab Kesari, Delhi
Sun, 01 Oct 2017, Page 17
Width: 11.09 cms, Height: 17.78 cms, a4, Ref: 45.2017-10-01.121

700 पीएफ ट्रस्टों के खिलाफ होगी कार्रवाई

- **सभी कार्यालयों से रिटर्न न दाखिल करने वाले संस्थानों द्वारा आनलाइन रिटर्न फाइल किया जाना सुनिश्चित करने को कहा गया है**

नई दिल्ली, (भाषा): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से उन 700 भविष्य निधि ट्रस्टों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने आनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया है।

ईपीएफओ ने एक बयान में कहा है कि केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने एक समीक्षा में पाया कि 700 से अधिक निजी भविष्य निधि ट्रस्टों (पीएफ ट्रस्ट) ने आनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसके अनुसार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अपने देशभर में फैले सभी कार्यालयों से कहा है कि वे इस तरह के सभी संस्थानों द्वारा आनलाइन रिटर्न फाइल किया जाना सुनिश्चित करें और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही ईपीएफओ ने इन ट्रस्टों से कहा है कि वे अपने 84 लाख सदस्यों को एसएमएस, ईमेल या मोबाइल ई पासबुक के जरिए पीएफ अंशदान की जानकारी प्राप्ति के दो दिन के भीतर दें। ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में निजी भविष्य निधि ट्रस्टों के लिये आनलाइन रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था।

ये निजी ट्रस्ट कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि का खुद प्रबंधन करते हैं हालांकि उन्हें इस मामले में उन सभी शर्त एवं लाभ को उपलब्ध कराना होता हैजो कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के तहत उपलब्ध कराये जाते हैं।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindu, Delhi
Sun, 01 Oct 2017, Page 32
Width: 8.59 cms, Height: 20.27 cms, a4, Ref: 30.2017-10-01.193

EPFO pulls up 700 trusts for not filing returns

NEW DELHI

Retirement fund body EPFO said it had asked its field offices to take action against 700 PF trusts that have not filed online returns. The Central Provident Fund Commissioner found that more than 700 exempted establishments (private PF trusts) did not file online returns, EPFO said in a statement. It has asked these trusts to provide online services to their 84 lakh members. PTI

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Financial Express, Delhi
Sun, 01 Oct 2017, Page 3
Width: 13.53 cms, Height: 36.75 cms, a3, Ref: 13.2017-10-01.16

EPFO cracks whip on 700 PF trusts

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 30

THE EMPLOYEES' PROVIDENT Fund Organisation (EPFO) said it has asked its field offices to take action against erring 700 PF trusts that have not filed online returns. The Central Provident Fund Commissioner (CPFC), after a review, found more than 700 exempted establishments (private PF trusts) did not file online returns, the EPFO said.

In order to protect the interest of the workers, the CPFC has issued directions to all the field offices to ensure filing of the online returns by all the exempted establishments and take appropriate action against the defaulting establishments as per law, including cancellation of exemption, it added.